



2026:

AHC:21094

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 559 सन् 2026

बाबू राम गंगवार

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: अस्तित्व श्रीवास्तव, सस्मिता श्रीवास्तव

उत्तरदाता उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री अस्तित्व श्रीवास्तव की ओर से उपस्थित श्री पंकज श्रीवास्तव और राज्य के स्थायी अधिवक्ता, श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री जितेंद्र प्रसाद ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दायर नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1981 में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 01.10.2024 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पुत्र अर्थात् पंकज कुमार 21.12.2023 से 20.03.2024 के दौरान बीमार पड़ गए और उन्होंने चिकित्सा उपचार कराया और जिसमें कुल 4,42,105 रुपये का खर्च आया, याचिकाकर्ता ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया, यद्यपि, उत्तरदाता संख्या 4 जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत द्वारा 08.05.2025 को उनका दावा निरस्त कर दिया गया।
- इसी बात को लेकर यह रिट याचिका दायर की गई।
- रिट याचिका पर 20.01.2026 को सुनवाई हुई और निर्देश मांगे गए।
- आज, पीलीभीत के जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्देश प्रस्तुत किए गए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकता, क्योंकि दिनांक 22.09.2021 और 23.08.2022 के सरकारी आदेशों के उल्लेख के अलावा, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उक्त लाभ से वंचित करने का आधार क्या था और दिनांक 22.09.2021 के सरकारी आदेश का उल्लंघन क्या था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता पूर्व-सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने पुत्र के उपचार के लिए प्रतिपूर्ति का अधिकारी था।

7. श्री जितेंद्र प्रसाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह तर्क देने का प्रयास किया है कि दिनांक 22.09.2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, यदि, किसी सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री 25 वर्ष से अधिक आयु का है, तो उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है और इसके अलावा, दिनांक 23.08.2022 के सरकारी आदेश का संन्दर्भ देते हुए, यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 23.08.2022 के सरकारी आदेश के अनुसार, उपचार के बाद 30 दिनों के भीतर और उपचार समाप्त होने से पहले 90 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. तथ्य विवादित हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उनके पुत्र को चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया था। दिनांक 08.05.2025 का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"आपके द्वारा अपने पुत्र श्री पंकज कुमार, की चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान किये जाने हेतु प्रतिपूर्ति दावा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-242/2021/392/पांच-6-2020-5 (जी०) / 2020 दिनांक 22.09.2021 एवं निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० के पत्र सं०-2/3554/2022-2/23/2020 भाग-2, लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2022 में दी गयी विहित व्यवस्था के अनुसार सारी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सर्वप्रथम चिकित्सा कराये जाने के उपरान्त 03 माह के भीतर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जबकि आप द्वारा ऐसा नहीं किया गया, अर्थात् आपके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा समस्त व्यय वाउचर्स सहित आपको मूलरूप में इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है। तथा सचेत किया जाता है कि आप भविष्य में भी उपरोक्त शासनादेशों में दी गयी विहित व्यवस्था के अनुसार ही समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत तत्काल कार्ड बनवाकर सम्बन्धित चिकित्सालयों से अपनी एवं अपने आश्रितों की चिकित्सा कराना सुनिश्चित करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के द्वारा निर्गत कार्ड से इतर चिकित्सा कराये जाने अथवा उपरोक्तानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित न किये जाने की स्थिति में आपके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. विद्वान स्थायी अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या सरकारी आदेश की शर्तें और नियम चुनौती दिए गए आक्षेपित आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित हैं या नहीं, दिनांक 22.09.2021 के सरकारी आदेश के संबंध में उत्तर नकारात्मक है।

11. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री जितेंद्र प्रसाद निवेदन करते हैं कि आदेश को अपास्त किया जाए और मामले को संबंधित प्राधिकरण को वापस भेजा जाए ताकि वह दिनांक 22.09.2021 और 23.08.2022 के सरकारी आदेशों के संबंध में कारणों सहित एक नया आदेश पारित करे।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

(क) जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 08.09.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है;

(ख) मामले को दो महीने की अवधि के भीतर 22.09.2021 और 23.08.2022 के सरकारी आदेशों के अनुसार गैर-प्रतिपूर्ति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक तर्कसंगत और नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

14. यह कहना अनावश्यक है कि आज पारित आदेश, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी के 08.05.2025 के आदेश को अपास्त किया गया है, किसी भी तरह से रिट याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का स्वतः अधिकार नहीं देता है यह अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा।

30 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति,

विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"